



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

F.1(a)104/DPC2023-24/Supervisor TSP/Estt/Ins-01495

Dated : - 06-03-2024


आदेश 496

अनुसूचित क्षेत्र में पर्यवेक्षक की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.03.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक के पद पर पे बैंड 9300-34800 (ग्रेड-पे.नं.12) (ग्रेड-पे-4200) (Level-11 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाता है :

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | वर्ग | चयन वर्ष | रिक्ति की दिनांक | वर्तमान पदस्थापन स्थान | विशेष विवरण |
|---------|---------------------|------|----------|------------------|------------------------|-------------|
| 1 | श्री कृष्ण लाल मीणा | अजजा | 2023-24 | 01.05.2023 | डूंगरपुर | - |

- उक्त पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत कर्मचारी आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।

सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


(अमित जौहरी) 06/03/2024


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Dated : - 06-03-2024

F.1(a)104/DPC2023-24/Supervisor TSP/Estt/Ins-01495 / 9470-79

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. सिस्टम्स एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sifp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
6. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डूंगरपुर।
7. सम्बन्धित कर्मचारी
8. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
9. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(सौम्या शर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)